[2019] 8 एस. सी. आर 687

स्नोटेक्स निवेश सीमा

वी.

आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्र-2,

कोलकाता

(2019 की सिविल अपील संख्या 4483)

अप्रैल 30,2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एसएस। 43 (5) (घ) 73-निर्धारण वर्ष 2008 2009-निर्धारिती-एन. बी. एफ. सी. जिनका शेयर व्यापार का एकमात्र व्यवसाय है। भविष्य में लेन-देन और विकल्प-क्या अटकलबाजी का नुकसान भविष्य में व्यापार के मुनाफे के खिलाफ सेट ऑफ करने में सक्षम है और विकल्प

आयोजित किया गयाः निर्धारिती को इसके परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान

शेयरों में व्यापार की गतिविधि (अटकलबाजी के व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला नुकसान) भविष्य और विकल्पों के व्यवसाय के खिलाफ अर्जित किए गए लाभ के खिलाफ सेट ऑफ करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बाद वाला एक सट्टा व्यवसाय का लाभ और लाभ नहीं होगा।

वित्त अधिनियम, 2005।

आय कर अधिनियम, 1961: एस. 73-संशोधित प्रावधान लाए गए

विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के बाद कानूनी पुस्तक पर-चाहे वह पूर्वव्यापी प्रकृति का हो-आयोजित किया गयाः संसद ने एस में संशोधन किया। 43 (5)

व्युत्पन्नों में व्यापार के व्यवसाय के संबंध में 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी-हालांकि, शेयरों में व्यापार के संबंध में, संसद ने एस के स्पष्टीकरण में एक विशिष्ट संशोधन किया। 73 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी-बाद वाला संशोधन संसद द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होने का इरादा था यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह स्पष्टीकरणात्मक था या संसद का इरादा इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देना था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. धारा 43 (5) के प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन से पहले, धारा 43 (5) ने 'सट्टा लेनदेन' को एक ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया है जिसमें स्टॉक और शेयरों सहित किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए अनुबंध का निपटान वास्तविक वितरण के अलावा किया जाता है।

या वस्तु या स्क्रिप का हस्तांतरण। वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधन का प्रभाव यह था कि डेरिवेटिव में व्यापार के संबंध में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर एक योग्य लेनदेन को सट्टा लेनदेन नहीं माना जाता था। 1 अप्रैल 2006 से, डेरिवेटिव्स में व्यापार एक काल्पनिक कल्पना द्वारा किया जाता था जिसे एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए जाने पर एक सट्टा लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता था। [पैरा 14] [694-सी-ई]

2. धारा 73 अटकलबाजी व्यवसाय से होने वाले नुकसान से संबंधित है। धारा 73 की उप-धारा (1) के तहत, एक निर्धारिती द्वारा किए गए सट्टा व्यवसाय के संबंध में गणना की गई हानि केवल

अटकलबाजी व्यवसाय माना जाए। स्पष्टीकरण में कुछ निर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में एक अपवाद भी दिया गया है जो काल्पनिक कल्पना के दायरे से बाहर होंगे। 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2014 द्वारा स्पष्टीकरण के संशोधन से पहले, किसी कंपनी द्वारा किए गए शेयरों में व्यापार के व्यवसाय को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा गया था। जहां एक ओर, संसद ने 1 अप्रैल 2006 से धारा 43 (5) में संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव में व्यापार अटकलों के व्यवसाय के दायरे से बाहर हो गया, वहीं शेयरों में व्यापार के संबंध में धारा 73 के स्पष्टीकरण के अनुरूप संशोधन किया गया। केवल 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया। तत्काल मामले में, इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत था। धारा 73 (1) विशेष रूप से उन परिस्थितियों को परिभाषित नहीं करती है जिनमें किसी कंपनी का प्रमुख व्यवसाय होगा।

निर्दिष्ट विवरण के व्यवसाय के रूप में माना जाए। यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने स्वयं कहा था कि इसका एकमात्र शेयर व्यापार था

विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष अर्थात ए. वाई. 2008 2009 के दौरान व्यवसाय। निर्धारिती का मुख्य कार्य निर्धारण वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम देना नहीं था। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, धारा 73 के तहत काल्पनिक माना जाएगा

आकर्षित किया। इसलिए, पहले पहलू पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 16,17,20,22] [695-ई-एफ; 696-बी-सी, एफ; 697-ए, जी] स्नोटेक्स निवेश लिमिटेड।

वी. आय कर के प्रधान आयुक्त

3. धारा 43 (5) के प्रावधानों को 1 अप्रैल 2006 से संशोधित किया गया था। धारा के प्रावधानों में संशोधन करते समय 43 (5) , संसद वास्तव में धारा 73 (4) में निहित प्रावधानों से अवगत थी। वित्त अधिनियम, 2005 में निहित एक ज्ञापन ने संकेत दिया कि धारा 73 (4) के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि अटकलों के नुकसान को आगे बढ़ाने की अवधि को आठ निर्धारण वर्षों से घटाकर चार निर्धारण वर्ष कर दिया जा सके। धारा 73 (4) में संशोधन पेश करने के बाद, संसद ने, यदि वह धारा 43 (5) के प्रावधानों के साथ समानता लाने का इरादा रखती है, तो एक विशिष्ट संशोधन पेश किया होगा। हालाँकि, संसद ने वित्त अधिनियम 2005 द्वारा ऐसा नहीं किया। 1 अप्रैल 2015 से ही धारा 73 के स्पष्टीकरण में निहित डीमिंग प्रावधान से शेयरों में व्यापार को बाहर करने के लिए एक संशोधन लाया गया था। संसद के पास संशोधन लागू होने तक स्थिति को जारी रखने की अनुमति देने के कारण हो सकते हैं, जिसमें शेयर बाजार की स्थिरता के संबंध में उसका दृष्टिकोण भी शामिल है। यह मानना मुश्किल होगा कि वित्त अधिनियम (संख्या 2) 2014 में जिन प्रावधानों को शामिल किया गया था, जहां तक कि उन्होंने धारा 73 के स्पष्टीकरण में संशोधन किया था, वे स्पष्टीकरणात्मक थे या कि

उस प्रावधान के बावजूद जिसके द्वारा संशोधन किया गया था

1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया, कि इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। [पारस 23,24] [697-एच; 698-ए, सी-जी]

आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम। वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1: [2014] 12 एस. सी. आर. 1037 का पालन किया गया।

आय कर आयुक्त v. एलम एक्सट्रूशंस लिमिटेड (2010) 1 एस. सी. सी. 489: [2009] 15 एससीआर 1154; विजय उद्योग बनाम। आयकर आयुक्त (2019) 4 एससीसी

184 पर भरोसा किया।

आय कर आयुक्त v. सावी कमर्शियल पी. लिमिटेड

(2015) 373 आई. टी. आर. 243-संदर्भित।

[20

19] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1997] 2 एससीआर 780

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2009] 15 एससीआर 1154

पै

रा 9

उस पर भरोसा करें

[2014] 12 एससीआर 1037

पीछा किया।

पै

रा 12

(2019) 4 एससीसी 184

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

(2015) 373 आईटीआर 243

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4483

2019 से।

उच्च न्यायालय के 22.11.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के आई. टी. ए. टी. सं. 199 में कलकत्ता में।

आर. वी. ईश्वर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नवीन आर. नाथ, सुश्री ललित मोहिनी भट,

राहुल जैन, सुश्री रूबल बंसल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रुक्मिणी बोबडे, श्रीमती अनिल कटियार,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील एक डिवीजन बेंच के फैसले से उत्पन्न होती है

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर 2016 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत एक अपील में कहा।

3. अपीलार्थी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत था।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत। अपीलार्थी ने 27 सितंबर 2008 को अपनी आय विवरणी दाखिल की। 8 अक्टूबर 2009 को धारा 143 (1) के तहत वापसी की प्रक्रिया की गई थी। जाँच के लिए मामले का चयन किए जाने पर, धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। 14 दिसंबर 2010 के एक आदेश द्वारा मूल्यांकन अधिकारी ने दर्ज किया कि प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि

निर्धारिती का शेयरों और प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। शेयर कारोबार से होने वाले नुकसान को एक अटकलबाजी नुकसान माना गया था। आकलन अधिकारी ने कहा कि धारा 43 (5) (डी) के प्रावधानों को देखते हुए, वायदा और विकल्पों से संबंधित गतिविधियों को सट्टा लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है। हानि। अटकलबाजी से व्यवसाय से होने वाले लाभ के खिलाफ सेट ऑफ करने में सक्षम नहीं माना गया था।

स्नोटेक्स निवेश लिमिटेड। वी. आय कर के प्रधान आयुक्त [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

4. मूल्यांकन वर्ष 2008-2009 के लिए निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ सी. आई. टी. (ए) के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। सी. आई. टी. (ए) ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती लाभांश और ब्याज के साथ व्युत्पन्न और शेयर व्यवसाय में व्यापार से आय प्राप्त करता है और एक एन. बी. एफ. सी. है। सी. आई. टी. (ए) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 43 (5) के प्रावधान 1 अप्रैल 2006 से अस्तित्व में आए और इसलिए, वायदा और विकल्पों में लेनदेन को शेयरों में व्यापार से अलग व्यावसायिक आय के रूप में माना जाना चाहिए। नतीजतन, सी. आई. टी. (ए) ने निर्धारिती के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आकलन अधिकारी ने अटकलों को नुकसान नहीं होने दिया था।

वायदा और विकल्पों में व्यापार के लाभ के खिलाफ सेट ऑफ किया जाना।

5. राजस्व ने सी. आई. टी. (ए) के फैसले के खिलाफ अपील की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 1 ने अपने 6 नवंबर के फैसले से 2015 अभिनिर्धारित किया कि शेयर व्यापार से होने वाले नुकसान को निर्धारित करने के लिए निर्धारिती के दावे को वायदा और विकल्पों में लेनदेन से होने वाले लाभ के खिलाफ अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि गतिविधियों का स्वरूप समान था। आई. टी. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती जो शेयर व्यापार के व्यवसाय में था, ने शेयरों की खरीद और बिक्री की पूरी गतिविधि को एक समग्र व्यवसाय के रूप में माना था जिसमें वितरण आधारित और गैर-वितरण आधारित व्यापार दोनों शामिल थे।

6. राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जिसने 22 नवंबर 2016 के अपने फैसले द्वारा उसकी प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वायदा और विकल्पों में व्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभ किसी सट्टा व्यवसाय से प्राप्त लाभ नहीं थे। इसलिए शेयरों में व्यापार करने पर होने वाले नुकसान को वायदा और विकल्पों के व्यवसाय से होने वाले लाभ के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता था।

7. वर्तमान मामले में विवाद निर्धारण वर्ष से संबंधित है।

2008-2009 .

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. वी. ईश्वर ने उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करने के लिए दो दलीलों का आग्रह किया है। सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1 अप्रैल 2015 से इसके संशोधन से पहले धारा 73 के स्पष्टीकरण में यह विचार किया गया था कि जहां धारा 73 का कोई भी हिस्सा - एक कंपनी के अलावा एक कंपनी का व्यवसाय, जिसका प्रमुख व्यवसाय ऋण और अग्रिम देना है, अन्य कंपनियों के शेयरों की खरीद में शामिल है, कंपनी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक अटकलबाजी कर रही मानी जाएगी।

1 “ आईटीएटी "

व्यवसाय। दूसरे शब्दों में, उस समय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया था कि जहां कंपनी के प्रमुख व्यवसाय में अनुदान शामिल है - ऋण और अग्रिम, स्पष्टीकरण में प्रदान की गई काल्पनिक कल्पना आकर्षित नहीं होगी। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया था कि ए. वाई. 2008-2009 के लिए निर्धारिती का प्रमुख कार्य ऋण और अग्रिम देना था। इस प्रस्तुति को मूल्यांकन के क्रम में निकाले गए अपीलार्थी की तुलनपत्र से लिए गए आंकड़ों के आधार पर पुष्ट करने की मांग की गई थी। यह प्रस्तुत किए गए वे आंकड़े इंगित करते हैं कि 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, निम्नलिखित स्थिति

उभरता हैः

(iv) शेयर कारोबार के लिए तैनात-1.28 करोड़ रुपये
(v) प्रतिशत-9.5%

(vi) असुरक्षित ऋण-5.92 करोड़ रुपये

9. प्रस्तुतियों का दूसरा अंग, जो वैकल्पिक है, यह है कि धारा 73 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों को इस प्रकार संशोधित किया गया था वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2014 द्वारा शेयरों में व्यापार को इसके दायरे में लाने के लिए। यह आग्रह किया गया कि इस संशोधन को पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए, हालांकि संसद ने इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया है।

1 अप्रैल 2015 से। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां तक डेरिवेटिव में व्यापार का संबंध है, वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा धारा 43 (5) के प्रावधानों में संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक पर प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में व्यापार के संबंध में एक योग्य लेनदेन किया जाए। विनिमय को सट्टा लेनदेन नहीं माना जाएगा। यह आग्रह किया गया कि कानून के प्रावधानों में स्पष्ट विसंगति थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि विसंगति इस तथ्य में शामिल थी कि शेयरों में वितरण आधारित व्यापार को संशोधन तक एक सट्टा व्यवसाय के रूप में माना जाता था

धारा 73 का स्पष्टीकरण 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था।

स्नोटेक्स निवेश लिमिटेड पर। वी. आय कर के प्रधान आयुक्त [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

दूसरी ओर, जो अनिवार्य रूप से सट्टा और गैर-वितरण आधारित था, अर्थात्, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव में व्यापार को 2006-2007 से सट्टा व्यवसाय के दायरे से हटा दिया गया था। रिलायंस को वित्त अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए 27 फरवरी 2006 के सीबीडीटी के परिपत्र और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए 21 जनवरी 2015 के परिपत्र पर रखा गया है। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि भले ही संसद ने 1 अप्रैल 2015 से धारा 73 के स्पष्टीकरण में संशोधन को लागू किया हो, लेकिन यह इस न्यायालय के न्यायिक प्राधिकरण को यह इंगित करने के लिए प्रभावित नहीं करेगा कि संशोधन, अपनी प्रकृति से,

संशोधन के आशय और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वव्यापी माना जाता है। रिलायंस को एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया था। आयकर आयुक्त, दिल्ली 2 और आय कर आयुक्त v. एलोम एक्सट्रूशन Ltd.[3]।

धारा 73 के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर, उच्च न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर भरोसा किया है। पहली परिस्थिति आकलन अधिकारी के समक्ष निर्धारिती का यह स्वीकार करना है कि विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के दौरान शेयर व्यापार निर्धारिती का एकमात्र व्यवसाय था। दूसरी स्थिति यह है कि निर्धारिती को ऋण पर ब्याज मिला था। रुपये 2,21,917 में से, इसने 62,84 रुपये, 111.60 का ब्याज दिया था। राजस्व ने आग्रह किया है कि निर्धारिती की बैलेंस शीट के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि निर्धारिती ने 5.92 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण लिए थे और 1 करोड़ रुपये के ऋण और अग्रिम दिए थे, जिसमें 5 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण शामिल था। 9.58 करोड़। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारण वर्ष के लिए प्रमुख कार्य ऋण और अग्रिम देना नहीं था। इस निष्कर्ष का समर्थन उपरोक्त दो आधारों पर किया गया था।

11. पूर्वव्यापीता के दावे के दूसरे मुद्दे पर, यह था

आग्रह किया कि यद्यपि न्यायालय के पास एक उपयुक्त मामले में शक्ति है, विधायिका के इरादे के आधार पर यह ठहराने के लिए कि एक संशोधन पूर्वव्यापी है, इस मामले में स्थिति काफी अलग है। वर्तमान मामले में, यह था

प्रस्तुत किया कि जब वित्त अधिनियम 2005 द्वारा 2006 से धारा 43 (5) के प्रावधानों में संशोधन किया गया था, तो विधायिका ने ध्यान दिया

2 (1997) 3 एस. सी. सी. 472

3 3 (2010) 1 एस. सी. सी. 489 [2019] 8 एस. सी. आर.

धारा 73 के प्रावधान। फिर भी इसने धारा 73 के स्पष्टीकरण में संबंधित संशोधन करना उचित नहीं समझा और इसके केवल नौ साल बाद ही बाद के प्रावधान में संशोधन पेश किया गया। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि विधायिका का इरादा धारा 73 के स्पष्टीकरण में संशोधन को पूर्वव्यापी नहीं बनाना था।

12. आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर रिलायंस को रखा गया है। वाटिका

विजय इंडस्ट्रीज बनाम आयकर आयुक्त 3 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर टाउनशिप प्राइवेट Ltd.ª_and।

13. ये प्रस्तुतियाँ अब विचार के लिए हैं।

14. धारा 43 (5) के प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन से पहले, धारा 43 (5) ने 'सट्टा लेनदेन' को एक ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया है जिसमें स्टॉक और शेयरों सहित किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए अनुबंध का निपटान वस्तु या शेयरों के वास्तविक वितरण या हस्तांतरण के अलावा किया जाता है। वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधन का प्रभाव यह था कि डेरिवेटिव में व्यापार के संबंध में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर एक योग्य लेनदेन को सट्टा लेनदेन नहीं माना जाता था। 1 अप्रैल 2006 से, डेरिवेटिव्स में व्यापार एक काल्पनिक कल्पना द्वारा किया जाता था जिसे एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए जाने पर एक सट्टा लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता था।

15. 27 फरवरी 2006 के सीबीडीटी के परिपत्र ने संकेत दिया कि यह संशोधन उन परिवर्तनों के कारण हुआ था जो थे - डेरिवेटिव्स के लिए बाजार में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों स्तरों पर SEBI द्वारा पेश किया गया। संशोधन का कारण बताते हुए परिपत्र में कहा गया हैः

" 3.10 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर 'डेरिवेटिव्स में व्यापार' को 'सट्टा लेनदेन' के दायरे से बाहर करना।

धारा 43 के खंड (5) के मौजूदा प्रावधान 'सट्टा लेनदेन' को एक ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें स्टॉक और शेयरों सहित किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए अनुबंध किया जाता है।

वस्तु या स्क्रिप्स की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण के अलावा अन्यथा निपटान। धारा 43 (5) के प्रावधान में कुछ ऐसे लेन-देनों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सट्टा लेन-देन नहीं माना जाता है।

5 (2019) 4 एस. सी. सी. 184 स्नोटेक्स निवेश लिमिटेड। वी. आय कर के प्रधान आयुक्त [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

एस. ई. बी. आई. द्वारा शुरू किए गए प्रणालीगत और तकनीकी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप शेयर बाजारों में पर्याप्त पारदर्शिता आई है और कृत्रिम लेनदेन या नुकसान की घटनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने के माध्यम से काल्पनिक नुकसान पैदा करने की गुंजाइश पर काफी हद तक अंकुश लगा है। स्क्रीन आधारित कम्प्यूटरीकृत व्यापार ऑडिट ट्रेल प्रदान करता है। इन विकासों के मद्देनजर, प्रतिभूतियों के व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में सट्टा और गैर-सट्टा लेनदेन के बीच वर्तमान अंतर हैः

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर की गई प्रतिभूतियों के व्युत्पन्न को सट्टा लेनदेन नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा धारा 43 (5) [अर्थात, स्टॉक एक्सचेंज के नियम 6 डीडीए और 6 डीडीबी के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पूरे किए जाने वाले नियमों और शर्तों को निर्धारित करने वाली अधिसूचना। आय -कर नियम, 1962] आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

1 जुलाई, 2005 को एस. ओ. संख्या 932 (ई) के माध्यम से।

लागू करने योग्यः ए. वाई. 2006-07 से आगे "।

16. धारा 73 अटकलबाजी व्यवसाय से होने वाले नुकसान से संबंधित है। धारा 73 की उप-धारा (1) के तहत, एक निर्धारिती द्वारा किए गए सट्टा व्यवसाय के संबंध में गणना किए गए नुकसान को केवल दूसरे सट्टा व्यवसाय के लाभ और लाभ के खिलाफ ही चुकाया जा सकता है। धारा 73 के स्पष्टीकरण में एक काल्पनिक धारणा है जिसमें कुछ व्यवसायों को, धारा के प्रयोजनों के लिए, अटकलबाजी व्यवसाय माना जाएगा। स्पष्टीकरण में कुछ निर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में एक अपवाद भी दिया गया है जो काल्पनिक कल्पना के दायरे से बाहर होंगे। 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2014 द्वारा स्पष्टीकरण के संशोधन से पहले, किसी कंपनी द्वारा किए गए शेयरों में व्यापार के व्यवसाय को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा गया था। हालाँकि, 1 अप्रैल 2015 से लागू किए गए संशोधन द्वारा,

धारा 73 का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

" स्पष्टीकरण-जहाँ किसी कंपनी के व्यवसाय का कोई भी भाग (उस कंपनी के अलावा जिसकी सकल कुल आय मुख्य रूप से -

आय जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "घर की संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षों के तहत प्रभार्य है, या एक कंपनी-प्रमुख व्यवसाय [2019] 8 एस. सी. आर.

जिसमें से शेयरों या बैंकिंग में व्यापार या ऋण और अग्रिम देने का व्यवसाय है) अन्य कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री में शामिल है, ऐसी कंपनी, इन उद्देश्यों के लिए

इस धारा का, यह समझा जाए कि वह किसी अटकलबाजी व्यवसाय को उस हद तक चला रहा है जिस हद तक व्यवसाय में खरीद शामिल है और

ऐसे शेयरों की बिक्री।

17. जबकि एक ओर, संसद ने 1 अप्रैल 2006 से धारा 43 (5) में संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप डेरिवेटिव में व्यापार किया गया।

यदि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अटकलबाजी के व्यवसाय के दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो शेयरों में व्यापार के संबंध में धारा 73 के स्पष्टीकरण में एक संबंधित संशोधन केवल 1 अप्रैल 2015 से लाया गया था।

18. निवेदन जिसे अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है

यह है कि व्युत्पन्न में व्यापार करते समय अटकलबाजी व्यवसाय, शेयरों में व्यापार के दायरे से बाहर करने का कोई तार्किक कारण नहीं था।

जैसा कि हमने देखा है, 1 अप्रैल 2006 के बाद धारा 43 (5) के दायरे से बाहर कर दिया गया था। हम वैकल्पिक प्रस्तुति के इस पहलू पर विचार करेंगे।

बाद में।

19. इस स्तर पर, हम पहली प्रस्तुति से निपटेंगे जो है

कि धारा 73 का स्पष्टीकरण, जैसा कि संशोधन से पहले था, एक अटकलबाजी व्यवसाय की डीमिंग परिभाषा से बाहर रखा गया था, एक ऐसी स्थिति जहां एक कंपनी का प्रमुख व्यवसाय ऋण और अग्रिम प्रदान कर रहा था।

20. वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती को रिजर्व के प्रावधानों के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया था

बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934। धारा 73 (1) विशेष रूप से उन परिस्थितियों को परिभाषित नहीं करती है जिनमें किसी कंपनी के प्रमुख व्यवसाय को निर्दिष्ट विवरण का व्यवसाय माना जाएगा। वर्तमान मामले में, प्रमुख व्यवसाय ऋण और अग्रिम देने का आग्रह किया गया था। हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हमारा मानना है कि

अदालत ने इसे खारिज कर दिया। परिस्थिति, जो हमारे विचार में महत्वपूर्ण महत्व की है, यह है कि निर्धारिती ने अपनी स्वयं की रेखा का अर्थ कैसे निकाला

व्यवसाय। उच्च न्यायालय ने आकलन अधिकारी के समक्ष निर्धारिती द्वारा कही गई बातों को निकाल लिया है, अर्थात्:

..... हमारे मामले में शेयर व्यापार हमारा एकमात्र व्यवसाय है।

चिंता के तहत मूल्यांकन वर्ष "।

स्नोटेक्स निवेश लिमिटेड। वी. आय कर के प्रधान आयुक्त [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

निर्धारिती के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने स्वयं कहा है कि इस अवधि के दौरान शेयर व्यापार उसका एकमात्र व्यवसाय था।

विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष अर्थात ए. वाई. 2008-2009।

21. श्री आर. वी. ईश्वर, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि निर्धारिती ने यह बयान मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष दिया था, लेकिन यह

22. प्रस्तुतिकरण के इस पहलू की शुद्धता, जिसका विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह किया गया है, में निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है वर्तमान पहलू के तथ्य, क्योंकि हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय निर्धारिती की विशिष्ट स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने में उचित था कि विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के दौरान, इसका एकमात्र व्यवसाय शेयरों में लेनदेन करना था। हमें इस परिस्थिति में भी विज्ञापन देना चाहिए कि जबकि निर्धारिती ने इस अवधि के दौरान 11.32 करोड़ रुपये के ऋण और अग्रिम प्रस्तुत किए थे।

आकलन वर्ष में इसमें 9 करोड़ 58 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल था। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारिती की विशिष्ट स्वीकृति मान ली जाती है।

महत्व। निर्धारिती ने तथ्य के एक बयान पर स्वीकार किया जो हमारे विचार में इसे बाध्य करता है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती का मुख्य कार्य निर्धारण वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम देना नहीं था। नतीजतन, धारा 73 के तहत काल्पनिक कल्पना आकर्षित होगी। इसलिए, पहले पहलू पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

23. यह न्यायालय को दूसरी प्रस्तुति की ओर ले जाता है जिसे अपील की सुनवाई के दौरान प्रचार किया गया है। के प्रावधान

1 अप्रैल 2006 से धारा 43 (5) में संशोधन किया गया। वित्त अधिनियम, 2005 में निम्नलिखित ज्ञापन था जिसमें समझाया गया था -

संशोधनः

" इसलिए, प्रस्तावित संशोधन में यह प्रावधान करने का प्रयास किया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव में व्यापार के संबंध में किए गए एक योग्य लेनदेन को एक योग्य लेनदेन नहीं माना जाएगा। सट्टा लेन - देन। प्रस्तावित संशोधन इस संबंध में मान्यता प्राप्त आदान-प्रदानों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के संबंध में प्रासंगिक नियमों आदि को अधिसूचित करने का भी प्रयास करता है। इसके अलावा धारा 73 की उप-धारा (4) में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि अटकलबाजी के नुकसान को आगे बढ़ाने की अवधि को आठ निर्धारण वर्षों से घटाकर चार निर्धारण वर्ष कर दिया जा सके।

99

24. धारा 43 (5) के प्रावधानों में संशोधन करते समय, संसद वास्तव में धारा में निहित प्रावधानों से अवगत थी।

73 (4) . उपरोक्त ज्ञापन इंगित करता है कि धारा के प्रावधान

73 (4) संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि अटकलों के नुकसान को आगे बढ़ाने की अवधि को आठ मूल्यांकन वर्षों से घटाकर चार कर दिया जा सके

मूल्यांकन वर्ष। धारा 73 (4) में संशोधन पेश करने के बाद, संसद ने, यदि वह धारा 43 (5) के प्रावधानों के साथ समानता लाने का इरादा रखती है, तो एक विशिष्ट संशोधन पेश किया होगा। हालाँकि, संसद ने वित्त अधिनियम 2005 द्वारा ऐसा नहीं किया। 1 अप्रैल 2015 से ही इसे हटाने के लिए एक संशोधन लाया गया था।

धारा 73 के स्पष्टीकरण में निहित डीमिंग प्रावधान से शेयरों में व्यापार। संसद के पास संशोधन लागू होने तक स्थिति को जारी रखने की अनुमति देने के कारण हो सकते हैं, जिसमें शेयर बाजार की स्थिरता के संबंध में उसका दृष्टिकोण भी शामिल है। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, यह अभिनिर्धारित करना कठिन होगा कि वित्त अधिनियम (संख्या 2) 2014 में निहित प्रावधान, जहाँ तक उन्होंने धारा 73 के स्पष्टीकरण में संशोधन किया था, स्पष्टीकरणात्मक थे या उस प्रावधान के बावजूद जिसके द्वारा संशोधन 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया था, कि इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। हम दूसरी प्रस्तुति को अस्वीकार करते हैं।

25. भले ही एक संशोधन, जिसमें वित्त अधिनियम के संदर्भ में एक संशोधन भी शामिल है, एक निर्धारित तिथि से लागू किया जाता है, न्यायालय वैधानिक व्याख्या के अभ्यास के रूप में यह निर्धारित कर सकता है कि क्या संशोधन स्पष्टीकरणात्मक है या पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ काम करने का इरादा था। इस तरह की कवायद इस न्यायालय द्वारा नौटेक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में की गई थी।

एलाइड मोटर्स (ऊपर) में एस का निर्णय। के प्रावधानों की व्याख्या करनाधारा 43 ख, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

हमसे पहले के लोगों की तरह कर निर्धारकों के लिए कठिनाई। द. कारण ज्ञापन के संयुक्त प्रभाव पर ध्यान देता है

धारा 43-बी और वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा अंतःस्थापित पहला परन्तुक। इस तथ्य का उल्लेख करने के बाद कि पहला परंतुक अब ऐसे करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करता है, यह स्पष्टीकरण 2 के सम्मिलन को धारा 43 बी के खंड (ए) के तहत "किसी भी देय राशि" शब्द के बारे में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से बताया गया है। ज्ञापन

ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 43-बी इस आधार पर आगे बढ़ती है कि

परंतुक कठिनाई की स्थिति का ध्यान रखता है और इसलिए धारा 43-बी (ए) के दायरे को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण 2 को पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा जा सकता है। इसलिए, धारा 43-बी (ए), धारा 43-बी और स्पष्टीकरण 2 के पहले परंतुक को एक साथ पढ़ा जाना चाहिएः

धारा 43-बी के सच्चे इरादे को प्रभावी बनाना। यदि स्पष्टीकरण 2 पूर्वव्यापी है, तो पहले परंतुक का इस प्रकार अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी पढ़ें, परंतुक को धारा 43 में पढ़ा जाना चाहिए। B अपनी स्थापना से स्पष्टीकरण 2 के साथ।

26. न्यायालय का निर्णय आंतरिक रूप से धारा 43-बी के प्रावधानों के समग्र अध्ययन पर आधारित था। ज्ञापन इस आधार पर आगे बढ़ा कि प्रावधान के साथ पठित धारा 43-बी का उद्देश्य कठिनाई की स्थिति को दूर करना था। इसलिए, धारा 43-बी (ए) के दायरे को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण 2 को पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि स्पष्टीकरण 2 पूर्वव्यापी है, तो पहले परंतुक का भी इसी तरह से अर्थ लगाया जाएगा। इस स्थिति को फिर से लागू किया गया थाविभागीय परिपत्र। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने संसद के इरादे की व्याख्या की।

27. बाद में इसी तरह की जांच को अपनाया गया है।

अलोम एक्सट्रूशंस (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय। इस मामले में, जबकि

धारा 43-बी के प्रावधानों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 25. समापन करने से पहले, हम नीचे प्रासंगिक निष्कर्ष निकालते हैं

सी. आई. टी. बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। जे. एच. गोटला (1985) 'जो

यह नीचे लिखा हैः (एस. सी. सी पी. 360, पैरा 47)

" 47. ..... हमें इस्तेमाल की गई भाषा से इरादे का पता लगाना चाहिए।

विधायिका द्वारा और यदि सख्त शाब्दिक निर्माण एक बेतुका की ओर ले जाता है

परिणाम अर्थात परिणाम का उद्देश्य के अधीन होने का इरादा नहीं है

पहले बताए गए तरीके से पाया गया कानून, और यदि कोई अन्य

तब सख्त शाब्दिक निर्माण के अलावा निर्माण संभव है। कि निर्माण को सख्त शाब्दिक की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए

निर्माण। हालांकि इक्विटी और कराधान अक्सर अजनबी होते हैं,

प्रयास किए जाने चाहिए कि ये हमेशा ऐसे न रहें और

निर्माण को शाब्दिक निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लागू किया जाने वाला परीक्षण अनिवार्य रूप से इसके उद्देश्यों में से एक है

और भी।

28. आयकर आयुक्त के एक और हालिया निर्णय में

टीका टाउनशिप प्रा. लिमिटेड, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ हंसः

" 42.1 . " वित्त विधेयक, 2002 के खंडों पर टिप्पणियाँ

परंतुक को शामिल करने का प्रस्ताव करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

संशोधन 1.6.2002 "से प्रभावी होगा। ये बन जाते हैं एपिग्राफिक शब्द, जब अन्य के विपरीत देखे जाते हैं

संशोधनों को विशेष रूप से स्पष्ट करने वाला या

पूर्वव्यापी रूप से विधायिका के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है। यह हो सकता है। उन्हीं टिप्पणियों से देखा जा सकता है कि कुछ अन्य संशोधन

एक ही वित्त अधिनियम द्वारा विशेष रूप से बनाया गया आयकर अधिनियम

उन संशोधनों को पूर्वव्यापी बनाना। उदाहरण के लिए, खंड 40

धारा 92-एफ में संशोधन करना चाहता है। धारा 92-एफ के खंड (iii-a) में संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड में उल्लिखित गतिविधियों में शामिल हैं:

किसी अनुबंध के अनुसरण में किसी भी कार्य को पूरा करना। (जोर देना

प्रदान किया गया)। यह संशोधन 1 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होता है।

4-2002 . विभिन्न अन्य संशोधन भी पूर्वव्यापी रूप से किए जाते हैं।

खंडों पर टिप्पणियाँ दर्शाती हैं कि विधायिका इसके बारे में पूरी तरह से अवगत है

तीन अवधारणाएँ:

5) 4 एससीसी 343 5) 1 एससीसी 1

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, यहाँ "एपिग्राफिक" का अर्थ है: सुझाव देना चाहते हैं कि

या संशोधन का उद्देश्य SNOWTEX निवेश लिमिटेड।

(i) एक निश्चित तिथि से प्रभावी संभावित संशोधन; ((ii) एक निश्चित पूर्ववर्ती तिथि से प्रभावी पूर्वव्यापी संशोधन; और

((ग) स्पष्टीकरणात्मक संशोधन जो पूर्वव्यापी प्रकृति के हों।

29. एम/एस में। विजय इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) ने 1 मार्च 2019 को निर्णय दिया, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि धारा के प्रावधान

80 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1 अप्रैल 1981 से लागू किए गए ए. बी. को स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का नहीं माना जा सकता।

30. अंत में, इसलिए हम मानते हैं कि संसद द्वारा वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2014 द्वारा धारा 73 के स्पष्टीकरण में लाया गया संशोधन 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी था। अपने विधान में जहां तक शेयरों में व्यापार का संबंध है, संसद ने 1 अप्रैल 2006 से धारा 43 (5) में संशोधन किया और 1 अप्रैल 2015 से धारा 73 के स्पष्टीकरण में एक विशिष्ट संशोधन किया। बाद वाला संशोधन संसद द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होने का इरादा था और हम यह मानने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि यह स्पष्टीकरणात्मक था या संसद का इरादा इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देना था।

31. परिणाम यह है कि ए. वाई. 2008-2009 में, नुकसान जो

निर्धारिती को शेयरों में व्यापार की गतिविधि (अटकलबाजी के व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला नुकसान) के परिणामस्वरूप भविष्य और विकल्पों के व्यवसाय के खिलाफ अर्जित लाभ के खिलाफ चुकाया नहीं जा सकता था क्योंकि बाद वाला लाभ किसी सट्टा व्यवसाय के लाभ और लाभ का गठन नहीं करता था। 32. जिन कारणों का हमने संकेत दिया है, हम उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।